न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0नं0 –98/2019

1. चिरंजीलाल पुत्र लिच्छीराम निवासी वार्ड नं0 16 हाल वार्ड नं0 19 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. सुमित्रा देवी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बाबुराम पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. पवन कुमार पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. अरूणा देवी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सुरेश कुमार पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. रामनिवास पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. राजकुमारी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. दुर्गा देवी पत्नी लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसल भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री मदनलाल सोनी **प्रार्थी**
श्री सुनील बैनीवाल **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांकः 19/02/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एसडीआर के खाता सं0 139/124 के मु0नं0 93 के किला नं0 25 व मु0नं0 94 के किला नं0 21 कुल किता 2 की 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि वादी के पिता लिच्छीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

सायल के पिता लिच्छीराम का दिनांक 07.02.2019 को देहान्त हो चुका है तथा लिच्छीराम के जीवनकाल में ही उक्त खातेदारी कृषि भूमि सायल के ही कब्जा काश्त में है सायल द्वारा ही उक्त कृषि भूमि पर कृषि की जाती रही है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सायल के पिता के जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि सभी वारिसान की आपसी रजामंदी से सायल को सुपुर्द कर दी गई थी। लिच्छीराम के देहान्त के बाद जब सायल व दिगर गैरसायलान संख्या 1 ता 8 इक्कठा हुए तो सायल ने गैरसायलान सं0 1 ता 8 से कहा कि स्व0 लिच्छीराम ने अपने जीवनकाल में सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 8 के बीच यह तय कर दिया था कि उक्त कृषि भूमि सायल के पास ही रहेगी और अन्य कोई इस बावत अपना हक अधिकार नहीं जताएगा और आप लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति जाहिर की थी इसलिए गैरसायलान सं0 1 ता 8 का अब लिच्छीराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं है।

उक्त कृषि भूमि की बावत दिनांक 22.02.2019 को सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 8 के बीच पारिवारिक बैठक हुई और पारिवारिक बैठक में गैरसायलान सं0 1 ता 8 ने समाज व बीरादरी के मौजिज व्यक्तियों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि स्व0 लिच्छीराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि को सायल को काश्त करने के लिए दे दी थी और गैरसायलान सं0 1 ता 8 ने उक्त बावत अपनी सहमति जाहिर की व अपना हक हिस्सा सायल के पक्ष में त्याग कर दिया और कहा कि हम कभी भी उक्त खातेदारी कृषि भूमि की बावत सायल के मालिकाना हक पर उजर व एतराज नहीं करेंगे ना ही उसके कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से व्यवधान करेंगे और इस बात के लिए लिखित में पारिवारिक समझौते के तहत सहमति जाहिर की सायल को जब भी जरूरत होगी हक उक्त खातेदारी कृषि भूमि के लिए तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना हक त्याग कर सायल के पक्ष में दर्ज करवा देंगे। गैरसायलान सं0 1 ता 8 वाद भूमि को सायल अकेले के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर चुके है इसलिए सायल लिच्छीराम के नाम दर्ज कुल वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार हो चुका है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1, 3, 5, 6 व 8 ने जवाब दरख्वास्त पेश कर अतिरिक्ति कथन किया कि सायल ने अपने पुत्र अधिवक्ता से लिखवाये गये पारिवारिक समझौतानामा में केवल अपने हित सम्बंधी व लिच्छीराम की बिना वसीयत की हुई जो सम्पति थी उसे हथियाने के लिए उक्त कृषि भूमि की जमीन व दुकान अपने हक हिस्से की लिखली जबकि सायल के 7 बहन भाई है उन बहन भाईयों के पक्ष में ना तो कोई नगदी राशि, ना ही सोना, चांदी जेवरात व अन्य वस्तु जो सायल को पारिवारिक बंटवारानामा में मिलने वाली अचल सम्पति के बराबर की कीमत की हो, नहीं दी है। जिससे भी साबित होता है कि सायल ने केवल अपने हित सम्बंधि पारिवारिक बंटवारानामा मेलाफाईड इन्टेसन रखते हुए फर्जी तौर पर तैयार करवाया है तथा सायल का पुत्र जो अधिवक्ता है जिसका पारिवारिक समझौतानामा लिखा सायल की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया तथा अपने साथी अधिवक्ता योगेश शर्मा को गैरसायलान का अधिवक्ता नियुक्त कर दिया तथा गैरसायलान से न्यायालय में राजीनामा बिना समझाये, बिना बताये पेश करवा दिये जो गैरसायलान के ज्ञान में नहीं है तथा गैरसायलान को न्यायालय द्वारा निकाले गये नोटिस से उक्त दावा व दरख्वास्त की जानकारी हुई।

उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दरख्वास्त में वर्णित कृषि भूमि को गैरसायलान संख्या 1 ता 8 व सायल के बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। सायल ने एक दावा सिविल न्यायालय में चिरंजीलाल बनाम दुर्गादेवी पेश कर रखा है जिसका हवाला अपने दावा व दरख्वास्त में नहीं दिया है तथा सायल का पारिवारिक बंटवारानामा पंजीयन नहीं करवाया हुआ है। बिना पंजीयन के पारिवारिक बंटवारानामा अपठनिय है।

जबाब दरख्वास्त पेश होने पर प्रार्थी ने जबाब उल जवाब पेश कर अप्रार्थीगण के जबाब दरख्वास्त का खण्डन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने न्यायिक उद्धरण डीएनजे (एससी) 2010 पेज नं0 202 व 203 पेश किया तथा बहस में कथन किया कि सायल के पिता लिच्छीराम का दिनांक 07.02.2019 को देहान्त हो चुका है तथा लिच्छीराम के जीवनकाल में ही उक्त खातेदारी कृषि भूमि सायल के ही कब्जा काश्त में है। दिनांक 22.02.2019 को सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 8 के बीच पारिवारिक बैठक हुई जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 ने वाद कृषि भूमि सायल को काश्त करने के लिए दे दी। इसलिए गैरसायलान सं0 1 ता 8 का अब लिच्छीराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। अब जब सायल ने गैरसायलान से बात की तो उन्होने सायल को धमकी दी कि उक्त भूमि हम अपने नाम से दर्ज करवा कर किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देंगे व सायल को उक्त भूमि से महरूम कर देंगे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि सायल ने केवल अपने हित सम्बंधि पारिवारिक बंटवारानामा मेलाफाईड इन्टेसन रखते हुए फर्जी तौर पर तैयार करवाया है। गैरसायलान से न्यायालय में राजीनामा बिना समझाये, बिना बताये पेश करवाये है जो गैरसायलान के ज्ञान में नहीं है। न्यायालय द्वारा निकाले गये नोटिस से ही गैरसायलान को उक्त दावा व दरख्वास्त की जानकारी हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 8 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न किये जाने के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। हस्तगत दरख्वास्त के निस्तारण के लिए हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दूओं पर विचार करना आवश्यक है। सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एसडीआर सम्वत् 2074 से 77 में वाद कृषि भूमि प्रार्थी के पिता लिच्छीराम के नाम दर्ज है तथा प्रार्थी के पिता लिच्छीराम की मृत्यु हो चुकी है जो की मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से वाद भूमि वादी का हक निहित होना पाया गया है तथा अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब में प्रार्थी का हिस्सा होना माना है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मूल दावा में राजीनामा तस्दीक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

करवाया है। अप्रार्थीगण ने 151 सीपीसी का प्रार्थना प्रस्तुत किया था जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। चूकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है, इसलिए यदि कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थी को असुविधा व क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा के उक्त दोनों बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। चूंकि पक्षकारान के हिस्सों का निर्धारण मूल वाद के निर्णय में होना है इसलिए न्यायहित में तब तक वाद भूमि की यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे चक 8 एसडीआर के खाता सं0 139/124 के मु0नं0 93 के किला नं0 25 व मु0नं0 94 के किला नं0 21 कुल किता 2 की 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि जो की लिच्छीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ